

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत  
पत्रांक-249/15-1, पीलीभीत, दिनांक 01/08/2020

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय :-

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम चरखीला, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गट्टा संख्या- 568 में रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/31275/2018)

सन्दर्भ :-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक- 1818/11-सी FP/UP/Others/31275/2018, दिनांक- 06.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 09.07.2020 को प्राप्त हुआ है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्रांक 2501/11सी दिनांक- 24.11.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रतियां उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।


Observe No.	Conditions	Status of Compliance
1	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है।
2	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूर्क वनीकरण की टोपोशीट अपलोड है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूर्क वनीकरण की टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13(iv) में क्षतिपूर्क वनीकरण की टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर अपलोड कर दी गयी है।
3	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रमाण पत्र पूर्व से संलग्न है। पुनः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिन्हित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति पूर्व से संलग्न की गयी थी पुनः चिन्हित गजट नोटिफिकेशन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन भाग-2 में के०एम०एल० फाइल 2 बार अपलोड की गयी है। अतः एक के०एम०एल० फाइल डिलीट करें।	ऑनलाइन भाग-2 में एक के०एम०एल० फाइल डिलीट कर दी गयी है।
6	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार 50 वृक्षों के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

पत्रांक- 249 /15-1 दिनांकित।

प्रेषित।


प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, 35ए कमला नेहरू मार्ग, बरेली को सूचनाार्थ

भवदीय  


(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत



(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत